

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-06.03.2025

सेवा में,

**MS KAMDHENU CITY HOME BUILDERS PVT LTD REP BY,
ITS DIRECTOR UMASHANKAR SHUKLA,
SB 1, HILL VIEW ENCLAVE, TELCO , P.S -GOVINDPUR.**

विषय:- मौजा-Dimna (mango), प्लॉट नं०-1250,1252,1253,1257,1258, खाता नं०-440, 441, 817, वार्ड नं०-9, थाना नं०-1641, जिला-East Singhbhum(Purbi) में प्रस्तावित बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संबंधित प्रस्तावित बहुमंजिले भवनों का स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक जाँच कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-211, दिनांक-04.03.2025 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000-75,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के चारों तरफ 150mm डायामेटर वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डायामेटर वाला एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के बेसमेन्ट, सतही तल एवं सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो एवं भवन के सभी व्यावसायिक तलों को स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
7. स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु अलग से पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय, जिसका संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. अग्निशमन कार्य हेतु भवनों में पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक-एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में 900 Lpm क्षमता वाले टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।

11. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
12. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय एवं पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
13. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में NBC मानक के अनुरूप भवनों के रिफ्यूज एरिया का निर्माण कराया जाय।
14. उपर्युक्त भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
15. NBC मानक के अनुरूप सेटबैक एरिया का निर्माण कराया जाय, अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के सामने वाले भाग में 12-12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
16. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
17. प्रत्येक भवनों में NBC मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए दो की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
20. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
21. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
22. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
23. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय एवं मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
26. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेकडोर का संस्थापन कराया जाय।
27. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें। बेसमेन्ट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी / लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिए प्रस्थान कर सकें।

28. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
29. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व प्रत्येक भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
30. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
31. भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
32. संबंधित भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवनों को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
33. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053,
pseudonym=fdbdee274971488cb4dce37ab5e245e7,
2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a545
8ea0b0, postalCode=834004, st=Jharkhand,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8
961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2025.03.06 23:54:14 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।